

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा ADB राजसमन्द (31308) जिला राजसमन्द

- प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

मैसर्स शिवम मार्बल

1. प्रो. श्री कान सिंह असोलिया पुत्र श्री विजय सिंह असोलिया
1. पता एन.एच. 8. भगवनदा खुर्द, राजसमंद, जिला राजसमंद (राज.) 313324
2. पता 224, ग्राम सेवाली, वार्ड न. 1, तहसील राजसमंद, जिला राजसमंद (राज.) 313324।
2. श्री भगवान सिंह राजपूत पुत्र श्री गुमान सिंह राजपूत पता :- 239, ग्राम चिकलवास, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री कान सिंह असोलिया पता 224, ग्राम सेवाली, वार्ड न. 1, तहसील राजसमंद, जिला राजसमंद (राज.) 313324

- अप्रार्थी/ऋणी /जमानतदार

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट

पत्रावली संख्या 06/2024

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
दिनांक 02.05.2024	<p>प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा ADB राजसमन्द ने दिनांक 16.04.2024 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>प्रार्थी बैंक ने ऋणी मैसर्स शिवम मार्बल प्रो. श्री कान सिंह असोलिया पुत्र श्री विजय सिंह को रूपये 15,00,000/- का ऋण स्वीकृत किया था। इस हेतु ऋणी/ऋणियों/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण की सुविधा के एवज में उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है :- चल सम्पत्ति Hypothecation of stock जो निम्न पता एन.एच. 8, भगवनदा खुर्द, राजसमंद, जिला राजसमंद (राज.) 313324, अचल सम्पत्ति :- आवासीय सम्पत्ति, जो प्लॉट नम्बर 8, पट्टा नम्बर 5178, करधर नगर, एन.एच. 8 के पूर्व की ओर, जावद, कांकरोली, जिला राजसमंद (राज.) में स्थित है जो श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री कान सिंह असोलिया के नाम से है,</p>	



bulla

जिसका कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग गज है। जिसके पड़ोस निम्न हैं पूर्व :- रास्ता, पश्चिम - भूमि आराजी न. 701, उत्तर - प्लाट नं. 07, दक्षिण - प्लाट न. 09, एवं 2. बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण आवासीय सम्पत्ति, जो प्लाट नं. 9, पट्टा न. 5218, करधर नगर, एन.एच. के पूर्व की ओर, जावद, कांकरोली, जिला राजसमंद (राज.) में स्थित है जो श्री भगवान सिंह राजपूत पुत्र श्री गुमान सिंह राजपूत के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग गज है। जिसके पड़ोस निम्न हैं पूर्व में :- रास्ता, पश्चिम - भूमि आराजी न. 701, उत्तर - प्लाट न. 10, दक्षिण - प्लाट न. 08। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 28.09.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। उक्त ऋण बाबत दिनांक 09.10.2023 को एक मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि रूपये 15,94,111/- रु. दिनांक 04.09.2023 तक एवं इसके पश्चात से ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने के लिये बकाया निकलने से राशि की मांग की है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रतिभूत आस्तियों को कब्जे में लेने का हकदार है। तथा संपत्ति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए संपत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी/अप्रार्थीगण को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत नोटिस दिनांक 09.10.2023 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को उनके पते पर तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण/ऋणी, द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा ADB राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुसार बंधक चल एवं अचल सम्पत्ति :- चल सम्पत्ति Hypothecation of stock जो निम्न पता एन.एच. 8, भगवनदा खुर्द, राजसमंद, जिला राजसमंद (राज.) 313324 अचल सम्पत्ति :- आवासीय सम्पत्ति, जो प्लाट नम्बर 8. पट्टा नम्बर 5178, करधर नगर, एन.एच.8 के पूर्व की ओर, जावद, कांकरोली, जिला राजसमंद (राज.) में स्थित है जो श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री कान सिंह असोलिया के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग गज है। जिसके पड़ोस निम्न हैं पूर्व में :- रास्ता, पश्चिम - भूमि



Handwritten signature or mark.

आराजी न. 701, उत्तर - प्लाट नं. 07, दक्षिण - प्लाट न. 09, एवं 2. बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण आवासीय सम्पत्ति, जो प्लाट नं. 9, पट्टा न. 5218, करधर नगर, एन.एच. के पूर्व की ओर, जावद, कांकरोली, जिला राजसमंद (राज.) में स्थित है जो श्री भगवान सिंह राजपूत पुत्र श्री गुमान सिंह राजपूत के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग गज है। जिसके पड़ोस निम्न हैं पूर्व में :- रास्ता, पश्चिम - भूमि आराजी न. 701, उत्तर - प्लाट न. 10, दक्षिण - प्लाट न. 08।

उपरोक्त चल एवं अचल सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा ADB राजसमन्द के प्राधिकृत अधिकारी को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा ADB राजसमन्द को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं० से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Bulm
(भंवर लाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमंद

